उत्तर प्रदेश पी.ए.सी. मुख्यालय, महानगर, लखनऊ— 226006

फोन +91–522–2337454, सीयूजी +91–9454400122 ,फैक्स +91–522–2337453, ई0मेल– pachqlkw@nic.in वेब–uppolice.gov.in

पत्रॉक–पीएसी–III–निर्देश(21)2013/72 दिनॉकः जनवरी 04 , 2014

स्थायी आदेश संख्या– (01/2014)

दिनांक 13–12–2013 को सम्पन्न "पीएसी स्थापना दिवस" में समूह–4 के प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में पीएसी वाहिनियों में आवासीय/अनावासीय भवनों आदि के निर्माण एवं मरम्मत कार्य को गुणवत्ता के साथ समय से कैसे पूर्ण कराया जाये, के सम्बन्ध में निम्नांकित मार्ग–दर्शन निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

1– कार्यो का चयन/निर्माण (वृहद निर्माण)

प्रस्तुतीकरण के बिन्दु	कार्यवाही हेतु मार्ग–दर्शन
• वाहिनी में अगले बीस वर्षो का एक भवन निर्माण, बैरक, आवास, फील्ड, स्कूल, जिम इत्यादि के निर्माण हेतु ब्लू प्रिन्ट तैयार किया जाना। • ब्लू प्रिन्ट का सेक्टर स्तर से अनुमोदन कराया जाना। • कार्य का चयन 15 अप्रैल तक कर लिया जाय एवं सेक्टर कार्यालय के माध्यम से जोनल कार्यालय द्वारा 30 अप्रैल तक अनुमोदन प्राप्त किया जाना। • कार्य हेतु भूमि का चयन (साइट सेलेक्शन) किया जाना।	1– पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत "भवन हस्त पुस्तिका 2012" जो पीएचक्यू की वेबसाइट के यू0आर0एल0– **http://uppolice.gov.in/writereaddata/uploaded-content/Web Page/29 11 2013 10 44 47 bhawan %20handbook2012.pdf** पर उपलब्ध है, को डाउनलोड कर प्रत्येक वाहिनी में रखा जाये। 2– "भवन हस्त पुस्तिका 2012" के अध्याय–3 में "निर्माण" शीर्षक में भूमि के चयन, ले–आउट प्लान आदि के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। 3– प्रश्नगत प्रकरण में सुगमता हेतु पीएसी मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या– 6 दिनांकित 24–09–2013 का प्रस्तर– (6) भी संदर्भित है। 4– तदनुसार कार्यवाही पूर्ण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
कार्यवाही– समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी/अनुभागीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी	
• निर्माण कार्य की गुणवत्ता निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने हेतु एक कमेटी का गठन किया जाना। • कमेटी में नामित कर्मचारी वाहिनी के हों, जिसमें राजपत्रित अधिकारी का निकट पर्यवेक्षण हो। • सेनानायक की अध्यक्षता में निर्माण इकाई के अभियन्ता के साथ अनुश्रवण कमेटी गठित हो।	1– "भवन हस्त पुस्तिका 2012" के अध्याय– 3(10) में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 2– पीएसी मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या–6 दिनांकित 24–09–2013 के प्रस्तर– 12 का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
कार्यवाही– समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी/ अनुभागीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0	
• प्रत्येक वाहिनी में पी0डब्ल्यू0डी0 शिड्यूल आफ रेट्स की प्रति उपलब्ध होनी चाहिए जिसमें समस्त आइटम की स्पेसिफिकेशन होती है। • निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ से पहले विस्तृत आगणन ड्राइंग और स्टैक्चरल ड्राइंग अवश्य प्राप्त कर ली जाये। • विस्तृत आगणन में समस्त आइटम्स की स्पेसिफिकेशन तथा स्लैब बीम एवं Lintel का वेट तथा स्अील के प्रयोग का जिक्र होना चाहिये। • मजबूत मसाले हेतु आधी बालू एवं आधी मोरंग का प्रयोग अवश्य किया जाय। • आर0सी0सी0 वर्क के मसाले में लाल मोरंग का ही	1– "भवन हस्त पुस्तिका 2012" के अध्याय– 3(5) एवं 3(10)2 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 2– "भवन हस्त पुस्तिका 2012" के अध्याय– 3(4) के शीर्षक– डी0पी0आर0 (Detailed Project Report) का अध्ययन करके निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 3– "भवन हस्त पुस्तिका 2012" के अध्याय– 3(11)1, 2, 3, 4, 5 तक में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 4–साथ ही पीएसी मुख्यालय स्थायी आदेश संख्या– 6 में निर्धारित मार्ग–दर्शन का ध्यान रखा जाये।

प्रयोग करना चाहिये काली मोरंग का प्रयोग नही होना चाहिये। • भवन निर्माण में प्रत्येक स्तर पर जैसे फाउण्डेशन में गिट्टी की कुटाई अच्छे ढंग से हानी चाहिए। फाउण्डेशन में ब्रिक वर्क आगणन में दर्शाये गये सेक्शनल प्लान के अनुसार होना चाहिए। ईंटा हमेशा अव्वल दर्जे–फर्स्ट क्लाास ब्रिक्स का होना चाहिए। • मसाले का अनुपात आगणन मे दर्शाये गये अनुपात के अनुसार ही हो एवं मसाले में बालू के सीान पर आधी मौरंग व आधी बालू का प्रयोग होना चाहिए। ब्रिक वर्क के पश्चात पानी की तराई कम से कम सात दिवस तक दिन मे तीन बार होनी चाहिए। ब्रिक वर्क करने के पश्चात 21 दिवस बाद स्लेब डालने की कार्यवाही की जानी चाहिए। • आर०सी०सी० बीम/लेन्टल/स्लैब डालने से पहले ड्राइंग के अनुसार सरिया को तुलवाकर जितनी मोटाई की सरिया का प्रावधान आगणन में हो का प्रयोग होना चाहिए। स्लैब हमेशा 5 इंच मोटी ढाली जानी चाहिए। • दरवाजे खिड़की एवं शीशे आगणन में दर्शाये गये मोटाई एवं सेक्शन के होने चाहिए। • रूफ ट्रीटमेन्ट में हमेशाा ब्रिक कोबा का प्रयोग होना चाहिए जिसमें ढाल का प्राविधान विशेष रू• से हो। • दीवारों पर पेन्ट हमेशा एप्रुव्ड मेक/आईएसआई मार्क का प्रयोग होना चाहिए। • सीवेज/वाटर सप्लाई लाइन हमेशा एप्रुव्ड मेक/आईएसआई मार्क का प्रयोग होना चाहिए। पाइप हमेशा 6 किलोग्राम/स्कवायर एम.एम. प्रेशर एवं सीवेज पाइप लाइन सीमेन्ट कांक्रीट के मसाले से कवर करना चाहिए एवं वाटर पाइप लाइन को लेड ज्वाइटिग से जोड़ा जाना चाहिए जिससे बाद में सीलन उत्पन्न न हो सके।	
	कार्यवाही– समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उ0प्र0

2– लघु निर्माण एवं विशेष मरम्मत कार्य

• इसका अनुमोदन सेक्टर/रेंज डी0आई0जी0 के स्तर से किया जाय। • टेण्डर ओपन मार्केट से आमंत्रित किये जाय। केवल वही फर्म टेण्डर डाले जो किसी भी सरकारी विभाग में पंजीकृत हो। • 31 जुलाई तक टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय। • 15 अगस्त तक वर्क आर्डर निर्गत कर दिया जाय। • टेण्डर न पड़ने पर नियमानुसार अमानी से कार्य कराने का विकल्प सहज रूप में प्रदान किया जाय।	1– "भवन हस्त पुस्तिका 2012" के अध्याय– 4 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। 2– पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या ग्यारह– 1338–2011 दिनांक 23–12–2011 में निर्धारित व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाय। 3– पीएसी मुख्यालय के स्थायी ओदश संख्या– 06 के अनुसार निर्धारित मार्ग–दर्शन निर्देशों को भी ध्यान में रखा जाय। 4– उचित निर्माण इकाई न मिलने पर अमानी से कार्य कराने के विकल्प के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या ग्यारह–550–2012 दिनांक 27–11–2013 द्वारा निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
	कार्यवाही– समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उ0प्र0
• आगणन पी0डब्ल्यू0डी0 अथवा निर्धारित स्टैंडर्ड	1– पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या ग्यारह– 1338–2011 दिनांक 23–12–2011 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आगणन

मानक के अनुसार हों। • चयनित कार्यों का स्वीकृति/अनुमोदन सक्षम स्तर से दिनांक 31 मई तक अवश्य हो जाय। • अनुमोदित कार्यों के सापेक्ष धनावंटन 30 जून तक वाहिनी/इकाई तक कर दिया जाय।	के गठन की कार्यवाही की जाय। 2– जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी द्वारा वाहिनी वार चयनित कार्यों की प्राथमिकता क्रम की सूची 30 अप्रैल तक सक्षम कार्यालय को अवश्य प्रेषित कर दिया जाय। 3– सक्षम कार्यालय द्वारा प्राथमिकता क्रम की सूची 31 मई तक अनुमोदित करके सम्बन्धित कार्यालयों को प्रेषित कर दिया जाये। 4– सेनानायक द्वारा अनुमोदित कार्यों के सापेक्ष पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 10 मई तक आगणन आदि गठित कराकर धनावंटन हेतु प्रस्ताव जोनल पुलिस महानिरीक्षक को अवश्य प्रेषित कर दिया जाय। 5– जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी द्वारा धनावंटन हेतु प्रस्ताव विलम्बतम 15 मई तक सक्षम कार्यालय को अवश्य प्रेषित कर दिया जाय।
कार्यवाही– समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी/अनुभागीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी	

3– सामान्य मार्ग–दर्शन बिन्दु

1 छुद्रमूल कार्यों में चरणबद्ध तरीके से/रनिंग भुगतान किया जाय।

2 भुगतान के चरण निर्धारित कर दिये जाय तथा नींव भरने पर 10 प्रतिशत, प्रथम लिन्टर पर 15 प्रतिशत, वुडवर्क पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत, इलेक्ट्रिक फिटिंग पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत, रंगाई–पुताई पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत तथा सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करने पर अन्तिम भुगतान की व्यवस्था पर विचार किया जाये।

3 जमानत धनराशि रोकने की अवधि एक वर्ष रखी जाय।

4 किये गये निर्माण कार्य के नियत समय से पूर्व खराब हो जाने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारण करना, सम्बन्धित इकाई द्वारा ही उसे ठीक किया जाना व रिकवरी का प्रावधान रखे जाने पर विचार किया जाय।

5 निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु कार्य की प्रारम्भिक स्थिति, कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति, कार्य प्रचलित होने की स्थिति, कार्य पूर्ण होने तक की स्थिति की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराकर इन अभिलेखों को अनुरक्षित किये जाने की व्यवस्था की जाय।

6 निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर कार्य की प्रकृति के अनुसार उसमें प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों की क्वालिटी का परीक्षण, निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु गठित कमेटी द्वारा नियमित रूप से किया जाने की व्यवस्था की जाय।

7 निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखते हेतु यह ध्यान रखा जाये कि निर्माण कार्यों में गुणवत्तायुक्त अच्छी एवं ब्रांडेड/आई0एस0आई0 सामग्री का प्रयोग हो।

8 आगणन में दर्शाये गये कार्य के स्ट्रक्चर/माप की समीक्षा राजपत्रित अधिकारियों के साथ सेनानायक द्वारा भी करके यह आश्वस्त होना आवश्यक है कि आगणन में दर्शित कार्य वास्तव में प्रस्तावित कार्य के अनुरूप है या नहीं ?

9 निर्माण कार्य हेतु वाहिनी स्तर पर गठित कमेटी के कर्मचारियों को अन्यत्र वाहिनी से बाहर यथासम्भव डियुटी में न भेजा जाय।

10 टेण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त सौंपा गया निर्माण कार्य सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा नियत अवधि में पूर्ण कराने की व्यवस्था की जाय।

कार्यवाही– समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी/अनुभागीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी

4– पुलिस भवनों के आम समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था

- छत की सीलन को दूर करने के लिये पुराने मुंडेर को यथासम्भव तुड़वाकर सीलन रोधी केमिकल का प्रयोग करते हुये प्लास्टर कराया जाय। छत पर पर्याप्त ढाल रखें और छत पर पानी व कूड़ा को न रहने दिया जाय। छत के सभी कोनों को गोल रखे, पानी टंकी के ओवरफ्लो को रोकने के लिये इससे डेढ़ फीट की दूरी पर बाउण्ड्री बनवाने का प्रयास किया जाय। छत को वाटरप्रूफ बनवाने के लिये ब्रिक कोबा ट्रीटमेन्ट कराया जाये।
- दीवार का प्लास्टर खोलवाकर मोरंग/ सीमेन्ट/सीलन रोधी केमीकल का बढ़िया प्लास्टर कराया जाय तथा सीलन वाली जगहों पर सीमेन्ट आधारित पुटटी लगवाकर पूरा सूखने के बाद पेन्ट करा जाय।
- वायरिंग के सम्बन्ध में एप्रुव्ड क्वालिटी, आई0एस0आई0 मार्क/कम्पनी का कापर वायर व स्विच का इस्तेमाल किया जाये तथा टीक वुड का बोर्ड लगाया जाय। बैरकों में अधिकाधिक संख्या चार्जिंग प्वाइन्ट (साकेट) लगवाया जाय ताकि कर्मियों द्वारा मोबाईल/लैपटाप/मच्छररोधी मशीन का आसानी से उपयोग किया जा सकें। ट्यूबलाइट की फण्टी व होल्डर एवं पंखे पर्याप्त संख्या में लगाया जाय।

- खिड़की/दरवाजे प्लाई के यदि खरीदे जाय तो अच्छी क्वालिटी/कम्पनी/वास्तविक आई0एस0आई0 मार्क एवं पूर्ण वाटरप्रूफ लगवाया जाये। पेन्ट के काम में सर्तकता रखने से इसकी गुणवत्ता दोगुनी हो सकती है।अतएव दीवार का पुराना चूना/डिस्टैम्पर खुरचवा कर ही इण्टीरियर वाल प्राइमर की परत लगवाये तथा सीमेण्ट वाली वाल पुटटी से पहले गडढों को भरवा दें। तत्पश्चात एक्रिलक डिस्टेम्पर/इमल्शन के आवश्यकतानुसार कोट करायें। लोहे की सरिया पर जंग खुरचवा कर लोहे के प्राइमर के बाद ही पेण्ट (इनामल) लगवायें। बाहरी दीवारों पर पुताई करते समय डबलू0पी0सी0 लिक्विड मिलाकर प्रयोग किया जाय।
- बाथरूम के दीवार में कम से कम छः फीट और फर्श पर ब्रांडेड टाइल्स यथासम्भव लगवाने की व्यवस्था की जाय। टाइल्स लगवाने के लिये विशेषज्ञ कारीगर का ही प्रयोग किया जाये। बाथरूम में एक्जास्ट फैन व सी0एफ0एल0 प्वाइंट जरूर लगवायें तथा जहां धूप न हो वहां फाइबर के दरवाजे अथवा एल्यूमोनियम की शीट ही लगवाने का यथासम्भव प्रयास किया जाय।
- बर्तन धुलने की जगह पर्याप्त ढलान व पानी की व्यवस्था करायी जाय तथा यह प्रयास किया जाये कि किचेन में उच्च क्वालिटी की टाइल्स नियमानुसार लगवाया जाय। वाश वेसिन/सिंक उचित जगह पर रखा जाय तथा किचेन में एक्जास्ट फैन की व्यवस्था करायी जाय।

5– अन्य वेलफेयर सम्बन्धी कार्यवाही

- बच्चों के पार्क का मेकओवर, झूलों की मरम्मत व सुरूचिपूर्ण ढंग से रंगाई–पुताई करायी जाय।
- यथा सम्भव खेल सामग्री कम्पनी एवं घरैया लाइन में बच्चों के लिये अलग–अलग से रखी जाय।
- वाटर कूलर अच्छी कम्पनी एवं फुल स्टेनलेस स्टील का ही लें ताकि बाडी की उम्र अधिक हो।
- जवानों के व्यायाम के लिये साफ–सुथरा जिन व उपकरण तथा म्युजिक सिस्टम की व्यवस्था की जाय।
- कम्यूनिटी हाल/मनोरंजन कक्ष में बड़ी स्क्रीन एलसीडी/एलईडी अथवा हाई रेसोल्यूशन प्रोजेक्टर विथ वाल माउण्टेड बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था की जाय।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये यथासम्भव नये ब्राण्डेड स्पीकर, कार्डलेस माइक, कालर माइक, वीआईपी माइक, साउण्ड मिक्सर की व्यवस्था की जाय।

कार्यवाही– समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उ0प्र0

2– उक्त स्थायी आदेश को उ0प्र0पुलिस की आफिसिल वेबसाइट Prov. Armed Constabulary (PAC) पर भी प्रकाशित किया जा रहा है, जो PAC Circulars`s पर डाउनलोड किया जा सकता है।

(रंजन द्विवेदी)
पुलिस महानिदेशक, पीएसी,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन्स/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग/ सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उ0प्र0।

2– अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक (पी/ई)/स्टाफ आफीसर/अनुभाग अधिकारी, अनुभाग–एक, दो, तीन, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0।

प्रतिलिपि– प्रभारी पुस्तकालय, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ को एक प्रति गार्ड पत्रावली पर रखने हेतु।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।